



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



795400

10

समस्त अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि सहित, बिना छोड़े हुए किसी स्वत्व एवं अधिकार के चाहे उनका वर्णन इस विक्रय विलेख में किया गया हो अथवा न किया गया हो, स्थिर सस्तिष्क एवं स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अंकन 18,34,256/- अड़तालीस लाख चौतीस हजार दो सौ छप्पन रुपये विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हस्ते मै0 अंसल हाकसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, 15-यू.जी.एफ.,

मिथलेश

Suman Lata

[Signature]



00220



RECEIVED

प्राप्त हुआ है। यह प्रमाण है कि
यह प्रमाण है कि यह प्रमाण है कि
यह प्रमाण है कि यह प्रमाण है कि
यह प्रमाण है कि यह प्रमाण है कि
यह प्रमाण है कि यह प्रमाण है कि
यह प्रमाण है कि यह प्रमाण है कि
यह प्रमाण है कि यह प्रमाण है कि





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



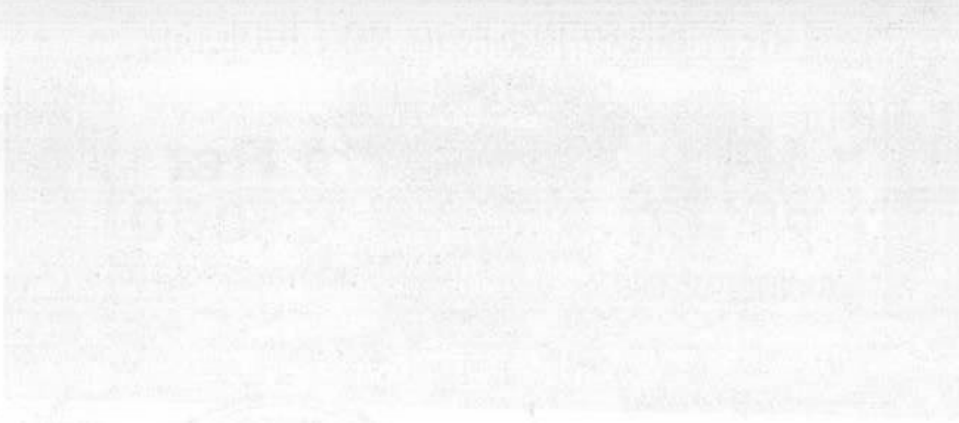
795999

इन्द्रप्रकाश 21-बारह खम्बा रोड, नई दिल्ली, द्वारा
अधिकृत श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री सी०बी० शर्मा
निवासी गली नम्बर 2, शाद नगर, पालम कालोनी, नई
दिल्ली को विक्रय कर दिया और बेच डाला और समस्त
विक्रय मूल्य निम्नानुसार प्रथम पक्ष विक्रेतागण ने द्वितीय पक्ष
क्रेता से प्राप्त करके विक्रित भूमि को अपने अधिकार,
स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकालकर क्रेता के

निपटेश

Suman Kataria

Om



CHIEF OF POLICE

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



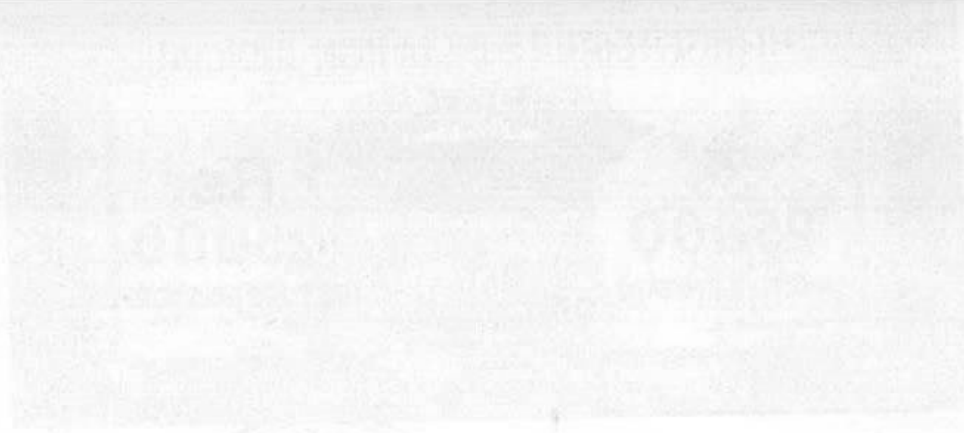
795398

अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में देकर उनको व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी बना दिया। अब प्रथम पक्ष विक्रेतागण का कोई अधिकार या स्वत्व विक्रित भूमि से सम्बन्धित भविष्य के लिये शेष नहीं रहा और न होगा। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ। यह विक्रय पूर्णतया उचित वैधानिक एवं मान्य है तथा प्रयोग होने योग्य है। कब्जा विक्रित भूमि का स्थल पर कतई खाली का

सिम्पलेश

Sunam Lal

अमर



UNIVERSITY OF MICHIGAN

1. The first part of the book is devoted to a general
 introduction to the subject of the book.
 2. The second part of the book is devoted to a
 detailed study of the various aspects of the
 subject.
 3. The third part of the book is devoted to a
 study of the various aspects of the subject.
 4. The fourth part of the book is devoted to a
 study of the various aspects of the subject.
 5. The fifth part of the book is devoted to a
 study of the various aspects of the subject.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



. 13 .

द्वितीय पक्ष क्रेता को प्रदान कर दिया है तथा क्रेता ने विक्रित भूमि का वास्तविक एवं भौतिक अधिपत्य स्थल पर प्राप्त कर लिया है। क्रेता उपरोक्त भूमि को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में ला सकेंगे। किसी को कोई आपत्ति न होगी। क्रेता अपना नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर स्वामी अंकित कराने के पूर्ण अधिकारी रहेंगे यदि इस हेतु प्रथम पक्ष विक्रेतागण की सहमति एवं रजामन्दी प्रस्तुत करने की

मिशनरी

Sunam Lohar





RECEIVED

1. The first part of the report is devoted to a general survey of the situation in the country. It is followed by a detailed account of the work done during the year. The third part contains a summary of the results of the work, and the fourth part contains a list of the names of the persons who have been engaged in the work.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



538584

आवश्यकता होगी तो उसको प्रथम पक्ष विक्रेतागण समयानुसार पूर्ण रूप से पाबन्द रहेंगे। कोई आपत्ति न होगी। यदि आज की तिथि से पूर्व का कोई ड्यूज या लगान विक्रित भूमि पर बकाया पाया जायेगा तो उसको चुकता करने का भार हम विक्रेतागण के जिम्मे होगा और आज की तिथि के बाद समस्त ड्यूज एवं लगान को स्वयं क्रेता वहन करेंगे। कोई आपत्ति न होगी। यदि अब अथवा भविष्य में विक्रित भूमि

निम्नलिखित



Summanta

